# विशिष्टताएं

**विशिष्टताएं**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखे पर है और इसमें संघ सरकार के वर्ष 2015-16 हेतु वित्त का विश्लेषण किया गया है। इसमें संघ सरकार के वर्ष 2015-16 हेतु विनियोग लेखे एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विश्लेषण भी सम्मिलित हैं।

**अध्याय-1**

- 2015-16 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति में सकल राजस्व प्राप्तियों में 16.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो प्रमुखतः विगत वर्ष के दौरान कर राजस्व प्राप्तियों (16.93 प्रतिशत) एवं गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (15.39 प्रतिशत) दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ था।

***(पैरा 1.2.2)***

- राजस्व व्यय 2014-15 के 7.62 प्रतिशत के प्रति 2015-16 के दौरान 4.98 प्रतिशत तक बढ़ा। सामान्य सेवाओं पर व्यय 2015-16 के राजस्व व्यय का 45.22 प्रतिशत था।

***(पैरा 1.3.2)***

- पूंजीगत व्यय विगत वर्ष के दौरान ₹1,06,781 करोड़ (62.05 प्रतिशत) बढ़ा और 2015-16 में ₹2,78,866 करोड़ पर पहुँच गया। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2014-15 के 9.01 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 13.24 प्रतिशत हो गया।

***(पैरा 1.3.3)***

- वर्ष 2015-16 हेतु राजस्व घाटा, 2014-15 में जीडीपी के 2.93 प्रतिशत के प्रति 2.53 प्रतिशत था। जीडीपी के 2.53 प्रतिशत का राजस्व घाटा, लगभग समान स्तर पर था जो चौदहवें वित्त आयोग द्वारा रूपायित किया गया था। वर्ष 2015-16 हेतु राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.31 प्रतिशत था जिसके प्रति यह 2014-15 में 4.13 प्रतिशत था।

***(पैरा 1.4 एवं 1.5.4)***

- लोक लेखा देयता की लघु बचतें, भविष्य निधियों आदि की देयता के वास्तविक स्तर को खाते मे लेने के बाद यह ₹7,11,608 करोड़ के स्थान पर ₹14,30,012 करोड़ परिकलित की गई।

***(पैरा 1.5)***

**अध्याय-2**

- 32 प्राप्तियों एवं व्यय मुख्य शीर्ष में अपारदर्शिता देखी गयी थी जिसमें कुल व्यय एवं प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत दर्ज थे।

***(पैरा 2.2.1)***

- तेरह नियामक निकाय एवं स्वायत्त निकाय, जो अपने क्षेत्र विशेष में नियामक के रूप में कार्य करते हैं, के जनवरी 2005 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत ये निकाय मार्च 2016 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति, कॉर्पस निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹3,973.10 करोड़ की निधियों को, सरकारी लेखाओं से बाहर रख रहे थे।

***(पैरा 2.2.2-क)***

- वर्ष 2015-16 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उदग्रहण के प्रति ₹9,835.70 करोड़ की कुल प्राप्ति में से दूरसंचार विभाग ने सार्वभौमिक सेवा देयता निधि (यूएसओ निधि) को ₹3100.00 करोड़ का अंतरण किया जिसका उपयोग चिन्हित उद्देश्यों पर ₹3,099.97 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था और यूएसओ के अंतर्गत अंत शेष को ₹0.03 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, 2002-03 से 2015-16 के दौरान ₹75,952.93 करोड़ के यूएएल के कुल संग्रहण के प्रति, ₹30,083.47 करोड़ की कुल राशि को इस अवधि में निधि को अंतरित किया गया। ₹45,869.46 करोड़ का शेष उदग्रहण यूएसओ निधि में अंतरित नहीं किया गया था।

***(पैरा 2.3.1)***

- ₹6,698.30 करोड़ का कुल अनुसंधान एवं विकास उपकर का 1996-97 से 2015-16 की अवधि के दौरान संग्रहण किया गया था। इसमें से केवल ₹579.16 करोड़ (8.65 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर को लगाने के उद्देश्य के प्रति किया गया था।

***(पैरा 2.3.2)***

- सीएफआई में 2006-07 से 2015-16 के दौरान माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (एस एच इ सी) के रुप में ₹73,468.52 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति, लोक लेखे में चिन्हित निधि में किसी धनराशि का अंतरण नहीं हो सका क्योंकि योजनाएं न तो चिन्हित थी जिस पर उपकर प्राप्तियों को खर्च किया जाता न ही लोक निधि में एसएचइसी की प्राप्तियों को जमा करने के लिए अभिहित निधि खोली गयी थी।

***(पैरा 2.3.3)***

- बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से व्यय का प्राप्तियों से बहुत अधिक होने से, निधि में शेष वर्षों से प्रतिकूल हो गये थे। निधि में 2011-12 से 2015-16 की अवधि में सतत प्रतिकूल शेष था, जो 2011-12 के (-) ₹205.75 करोड़ से 2015-16 में (-) ₹172.58 करोड़ हो गया था।

***(पैरा 2.3.8)***

- राज्य/यू.टी. सरकारों एवं अन्य संस्थाओं के पास कुल ₹2,56,353.52 करोड़ का ऋण 31 मार्च 2016 तक बकाया था। इसमें से, ₹26,333.68 करोड़ के पुनर्भुगतान 2 से 50 वर्षों के बीच बकाये थे, जिसमें ₹11,321.87 करोड़ वसूली नहीं होने के कारण 20 वर्षों (₹10 करोड़ से अधिक के मामले) से अधिक के बकाये सम्मिलित थे।

***(पैरा 2.4.4.3-ङ)***

**अध्याय-3**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) के प्रावधान के अनुसार भारतीय समेकित निधि (सी एफ आई) से विधि द्वारा किये गये विनियोगों के

अंतर्गत को छोड़कर कोई धन नहीं निकाला जाना चाहिए। तथापि, 2015-16 के दौरान सी एफ आई के प्राधिकरण के ऊपर ₹286.24 करोड़ के अधिक संवितरण हुए थे। सिविल मंत्रालयों/विभागों में यह आधिक्य दो अनुदानों/विनियोगो के दो खंडों में ₹210.37 करोड़ का और रेलवे मंत्रालय में छः अनुदानों/विनियोगों के छः खंडों में ₹75.87 करोड़ का था। इन अधिक संवितरणों को संविधान के अधिनियम 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमित करने की आवश्यकता है। .

***(पैरा 3.4)***

- 80 अनुदानों (सिविल डाक रेलवे एवं रक्षा सेवाओं सहित) के 98 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचते हुई जो ₹6,54,745 करोड़ की थीं। अनुदानों में बड़ी बचतें पायी गयी थीः विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान (₹4,95,571 करोड़), विनियोग- ब्याज भुगतान (₹18,819 करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹14,650 करोड़), राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अंतरण (₹11,938 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹9,239 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹8,754 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹ 7,781 करोड़), आर्थिक मामले मंत्रालय (₹7,630 करोड़) शहरी विकास विभाग (₹4,309 करोड़) आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (₹3,868 करोड़) आदि।

***(पैरा 3.7 एवं अनुबंध 3.5)***

**अध्याय-4**

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि भारत की समेकित निधि से विधि द्वारा बनाये गये विनियोग के अंतर्गत के अलावा कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। वापसियों पर ब्याज पर ₹7,704 करोड़ का व्यय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संसद के प्राधिकरण के बिना वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया था। ब्याज भुगतानों पर ₹55,939 करोड़ का कुल व्यय विगत आठ वर्षो में, लोक लेखा समिति द्वारा उसके 66वें एवं 96वें प्रतिवेदन में संस्तुतियों के

बावजूद आवश्यक विनियोगों के माध्यम से अनुमति लिए बिना किया गया था।

***(पैरा 4.2)***

- भारत की समेकित निधि से किसी निकाय या प्राधिकार और सब्सिडी को सहायता-अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान की वृद्धि केवल संसद की पूर्व अनुमति से ही हो सकती है। पाँच अनुदानों के पाँच मामलों में, ₹11.32 करोड़ का व्यय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2015-16 के दौरान विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को संसद की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना वस्तु शीर्ष '31-सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत प्रावधानों के संवर्धन द्वारा किया गया था। इसी प्रकार दो अनुदानों के दो मामलों में वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में संसद की पूर्व अनुमति के बिना मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹10.15 करोड़ का संवर्धन किया गया था। इसके अतिरिक्त युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में, ₹3.57 करोड़ की धनराशि का वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' में संसद की पूर्व अनुमति के बिना संवर्धन किया गया था औद्योगिक नीति एवं पदोन्नति विभाग में ₹199.97 करोड़ की कुल धनराशि वस्तु शीर्ष '33- सब्सिडी' में संसद की पूर्व अनुमति के बिना संवर्धित की गयी थी। ये सभी अधिक व्यय नयी सेवाएं/सेवाओं के नये साधन (एनएस/एनआइएस) की सीमाओं का उल्लंघन करती थीं।

***(पैरा 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 एवं 4.3.4)***

- वस्तु शीर्ष '53-प्रमुख निर्माण कार्यों' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआइएस के मामले के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक या पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक की निधि के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, चाहे वह संवर्धन नये निर्माण-कार्य के लिए हो या मौजूदा निर्माण कार्य के लिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹116.48 करोड़ का अधिक व्यय 2015-16 के दौरान संसद की पूर्व

अनुमति प्राप्त किये बिना वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन किया गया था। इस अधिक व्यय ने नयी सेवा/नयी सेवा के साधन की सीमाओं का भी उल्लंघन किया।

***(पैरा 4.3.5)***

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने राजस्व व्यय को गलती से पूंजीगत व्यय एवं इसके विपरीत रूप में वर्गीकृत किया गया था। गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप पूंजीगत व्यय को ₹1928.24 करोड़ से अधिक बताया गया एवं पूंजीगत व्यय को ₹345.46 करोड़ से कम बताया गया। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव पूंजीगत व्यय को ₹1582.78 करोड़ से अधिक बताया गया।

***(पैरा 4.4.1, 4.4.2 एवं 4.4.3)***

- वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 का नियम 8, व्ययों के छः टीयर अर्थात् वस्तु शीर्ष में वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं सहित विनियोग के मानक प्राथमिक इकाइयां निर्धारित करता है। 35 मामलों में, 13 अनुदानों/विनियोगों में ₹387.32 करोड़ की धनराशि का व्यय विनियोग के प्राथमिक इकाइयों के मध्य गलत रूप से वर्गीकृत था।

***(पैरा 4.5.3)***

**अध्याय-5**

- संघ सरकार को 2015-16 के दौरान कुल राजस्व व्यय (रेलवे को छोड़कर) का लगभग 27 प्रतिशत सहायता अनुदान पर व्यय था।

***(पैरा 5.2)***

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी सहायता-अनुदान पर व्यय के विस्तृत विश्लेषण ने आंतरिक मानीटरिंग प्रणाली में, योजनागत सहायता-अनुदान का असमान प्रवाह, सरकारी अनुदानों से सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों के डाटा को अनुरक्षित नही करना जैसी कमियां उदघाटित हुई थी। विद्युत मंत्रालय के संबंध में सहायता-अनुदान-वेतन से संबंधित वस्तु शीर्ष का

परिचालन नहीं हो रहा था, बावजूद इसके कि यह विद्युत मंत्रालय द्वारा खोला गया था और यह 1 अप्रेल 2011 से प्रभावी था।

***(पैरा 5.4 एवं 5.5)***

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विश्लेषण में अनुदानग्राही संगठनों का वाह्य समकक्ष समीक्षा न होना, अनुदानग्राही द्वारा निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करना, सहायता-अनुदान के रजिस्टर का अनुरक्षण न करना और उपयोग प्रमाण-पत्रों (उ.प्र.प.) की लंबिता जैसी अन्य कमियों का पता चला।

***(पैरा 5.4)***